न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 19/2014 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2014/00120

1. उच्छब कंवर पत्नी स्व. श्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी गांव बिलंगा, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

— अपीलान्ट

बनाम

1. हरजिन्द्र सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जट सिख निवासी 9 जी.एल.एम. हाल 32 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेन्द्र सिंह शिमला अभिभाषक अपीलांट
श्री ज्ञान सिंह बिश्नोई अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय

दिनांक 21.08.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के आदेश दिनांक 02.04.2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित भूमि चक 32 के.जे.डी. के मु.नं. 146/34 के किला नंबर 1 ता 4, 7 ता 13, 16 ता 24 की कुल 20 बीघा आवंटनशुदा भूमि है, जो अपीलांट के पिता मोहन सिंह पुत्र ओमसिंह को भूमिहीन के आधार पर आवंटित हुई। अपीलांट के पिता मोहन सिंह का देहान्त दिनांक 01.12.2012 को हो जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2014 पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व खाजूवाला ने वसीयत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इंतकाल दर्ज करने का आदेश दे दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2014 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के पिता मोहन सिंह का देहांत दिनांक 01.12.2012 को हो जाने के बाद अपीलांट ने दिनांक 01.06.2014 को विरासतन नामान्तरकरण हेतु आवेदन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को गायब कर दिया तथा वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश दे दिये। वसीयतकर्ता के पक्ष में वसीयत दिनांक 18.03.1993 को निष्पादित हुई थी जबकि उक्त विवादित भूमि की खातेदारी वसीयतकर्ता को दिनांक 11.06.1993 को मिली। वसीयत निष्पादन के समय उक्त विवादित भूमि की खातेदारी वसीयतकर्ता को प्राप्त नहीं हुई थी। अपीलांट आवंटी के कानूनी व जायज वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने इकतरफा तौर पर वसीयत प्रार्थना पत्र के आधार पर इंतकाल दर्ज कर दिया। अपीलांट के विरासतन इंतकाल दर्ज करने के आवेदन को वसीयत प्रा.पत्र से संबंधित कार्यवाही में शामिल कर दोनों पक्षों को सुनना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वसीयतकर्ता से कोई संबंध ही नहीं है। मूल आवंटी अपीलांट के पिता सुजानगढ़ जिला चूरू के निवासी है। विवादित भूमि तहसील खाजूवाला की है लेकिन अखबार साया वहां के समाचार पत्र में नहीं करवाया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2014 निरस्त किया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने बहस प्रपत्र 3 के संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि से संबंधित वसीयतनामा नोटेरी से अटेस्टेड है। अपीलांट द्वारा वसीयतनामे को किसी भी सिविल न्यायालय में चैलेंज नहीं किया। मूल आवंटी मोहन सिंह सरदारशहर का ही निवासी है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष वसीयत का प्रकरण कन्टेस्टेड नहीं था। समाचार पत्र में दी गई सार्वजनिक सूचना के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं की गई। मूल आवंटी मोहन सिंह के भतीजे ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई, जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा एफ.आर. लग चुकी है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व खाजूवाला ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2014 पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर

लिया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.01.2013 पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार सुजानगढ़ से मृत्तक प्रकरण में रिपोर्ट चाहने पर ग्रा.प. सारोठिया प.स. सुजानगढ़ द्वारा आवंटी मोहन सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की पुष्ट पर लिखा कि स्व. मोहन सिंह के एक ही मौजूद कानूनी वारिस है, जो अपीलांट उच्छब कंवर है। ऐसी स्थिति में वसीयतकर्ता स्व. मोहन सिंह के जीवित वारिसान को सुना जाना जरूरी हैं। वसीयतनामें में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हरजिन्द्र सिंह कौन है व कहा का रहने वाला है, के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 06.01.2013 पेश किये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मूल आवंटी मोहन सिंह के कानूनी वारिस अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2014 पारित कर दिया, जो कि न्यायोचित नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2014 निरस्त किया जाता हैं तथा अपील तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार खाजूवाला सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/24.

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर